# कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक . एक सागर (म.प्र.)

☎ : 07582-285247 ( सिविल कोर्ट के पास ) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001
E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पत्र क्र. 1987 /कार्य/2025–26 सागर दिनाँक 20 /06/2025

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
दक्षिण वन मंडल (सा.)
सागर जिला– सागर (म.प्र.)

**स्मरण पत्र**

**विषयः–** जिला सागर के अंतर्गत बरौदा जलाशय योजना के निर्माण हेतु 21.06 हेक्टे. की स्टेज–2 वन स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने बावत्।

**संदर्भः–**
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 6–एमपीआर.005/2022–वीएचओ दिनांक 09.12.2022 **(ऑनलाइन प्रकरण क्र. FP/MP/IRRIG/30442/ 2017)**
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1652/कार्य/2023–24 सागर दिनांक 08.05.2023 (बरौदा जलाशय का पालन प्रतिवेदन)
3. आपका पत्र क्र. म.चि./06/2025/1913 सागर दिनांक 17.04.2025
4. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1484/कार्य/2025–26 सागर दिनांक 08.05.2025
5. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1527/कार्य/2025–26 सागर दिनांक 13.05.2025
6. म.प्र. शासन, वन विभाग का पत्र क्र. एफ–03–11/2018/10–2 भोपाल दिनांक 14.05.2019
7. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1556/कार्य/2025–26 सागर दिनांक 15.05.2025

–––––000–––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से बरौदा जलाशय योजना अंतर्गत प्रथम चरण सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदाय की गई थी। तदानुसार संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से योजना का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। चूंकि प्रकरण अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण की भूमि में आपके द्वारा बदलाव करने के कारण संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से संशोधित मांग पत्र राशि 20358057/– रू. का जारी किया गया था जिसकी प्रति हेक्टेयर लागत 9.67 लाख है जो कि संदर्भित पत्र क्र. 6 में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है। संदर्भित पत्र क्र. 6 के बिन्दु क्र. 1 के अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकवा 20 से 40 हेक्टे. होने पर अधिकतम व्यय 4.19 लाख रूपये प्रति हेक्टे. निर्धारित की गई। मांग राशि, निर्धारित दरों से अधिक होने के कारण अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संदर्भित पत्र क्र. 4 एवं 5 के माध्यम से पुनः पुनरीक्षित मांग पत्र जारी करने हेतु लेख किया गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित मांग राशि संदर्भित पत्र क्र. 6 के अनुरूप प्राप्त होने की प्रत्याशा में योजना का स्टेज–2 अंतिम स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**सहपत्रः–** उपरोक्तानुसार।

(अखिल बिरथरे)
*कार्यपालन यंत्री* 20/06/2025
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला– सागर (म.प्र.)

पृ. क्र. 1987-A/कार्य/2025–26 सागर दिनाँक 20/06/2025

**प्रतिलिपि :–**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार सागर जिला सागर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. वन मण्डलाधिकारी, उत्तर वन मंडल सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग क्र. 3 गढ़ाकोटा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिल बिरथरे)
*कार्यपालन यंत्री*
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर

<table>
<tr><th>शर्त. क्र.</th><th>अधिरोपित शर्तों का विवरण</th><th>शर्तों का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="4">A: Conditions which need to be complied prior to handing over of rorest land by the State Forest Department.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>The cost of compensatory afforestation on the CA land (21.06 ha NFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</td><td>शर्त क्र. 1 के पालन में विवरण निम्नानुसार है –
<table>
<tr><th>स. क्र.</th><th>कार्य का विवरण</th><th>राशि</th><th>मांग पत्र</th><th>भुगतान का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि</td><td>1,79,89,946/–</td><td rowspan="3">प्रधान मुख्य वन संरक्षक भु–प्रबंध भोपाल का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022</td><td rowspan="3">कुल राशि 3,31,13,094/– का भुगतान ई–चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एन.पी.वी. की राशि</td><td>1,41,13,148/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>केंट प्लान की राशि</td><td>10,10,000/–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अतिरिक्त एन.पी.वी. की राशि</td><td>60,57,699/–</td><td>वनमंडल अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनांक 05.06.2023</td><td>कुल राशि 60,57,699/– का भुगतान ई–चेक क्र. 0330230816 दिनांक 16.03.2024 को किया गया है।</td></tr>
</table>
आवेदक संस्था उपरोक्त भुगतान के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा अन्य किसी मांग राशि के भुगतान हेतु वचनवद्ध है।</td><td>विवरण एवं वचन पत्र क्र. 1 संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.</td><td>शर्त क्र. 2 के पालन में विवरण निम्नानुसार है –
<table>
<tr><th>स. क्र.</th><th>आवंटित एवं हस्तांतरित भूमि</th><th>रकवा</th><th>खसरा का विवरण</th><th>कलेक्टर का आदेश क्र.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ग्राम हरद्वानी तह. बण्डा जिला सागर</td><td>10.98 हेक्टे.</td><td>105, 107/1,107/2, 128, 129, 130 ,131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354</td><td>रा.प्र.क्र. 28/अ/19(3) वर्ष 2017–18 आदेश दिनांक 28.09.2018</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ग्राम सरखेड़ा तह. देवरी जिला सागर</td><td>10.08 हेक्टे,</td><td>326,</td><td>रा.प्र.क्र. 0002/अ–20(3)/ वर्ष 2024–25 आदेश दिनांक 29.11.2024</td></tr>
</table>
वचन पत्र क्र. 2 संलग्न है।</td><td>1. पूर्व में आवंटित भूमि ग्राम फुलवारी तह. शाहगढ़ रकवा 10.08 हेक्टे. पर वन विभाग द्वारा कब्जा न लेने के कारण पुनः ग्राम सरखेड़ा तह. देवरी में उक्त भूमि पुनः आवंटित की गई। जिसके कलेक्टर सागर का आदेश, नामांत्रण एवं हस्तांतरण के दस्तावेज संलग्न है। 2. ग्राम हरद्वानी में कलेक्टर सागर के पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 को खजरा, मंजला, एवं क्वायला जलाशय हेतु 38.28 हेक्टे. भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर आधिपत्य में सौंपी गई किन्तु खजरा जलाशय योजना रद्ध हो जाने के कारण पुनः कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से योजना की 14.26 हेक्टे. भूमि में से 10.98 हेक्टे. भूमि बरौदा जलाशय को आवंटित की गई है। उपरोक्तानुसार वन विभाग के आधिपत्य की 38.28 हेक्टे. भूमि के नामांत्रण एवं हस्तांतरण के दस्तावेज एवं बरौदा जलाशय के कलेक्टर सागर का आदेश संलग्न है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification shall be submitted with Stage-1 compliance report.</td><td>शर्त क्र. 3 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।</td><td>नोटिफिकेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही हैं।<br>वचन पत्र क्र. 3 संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 21.06 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06/01/2022 in this regard.</td><td>शर्त क्र. 4 के पालन में विवरण निम्नानुसार है –
<table>
<tr><th>स. क्र.</th><th>कार्य का विवरण</th><th>राशि</th><th>मांग पत्र</th><th>भुगतान का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि</td><td>1,79,89,946/–</td><td rowspan="3">प्रधान मुख्य वन संरक्षक भु–प्रबंध भोपाल का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022</td><td rowspan="3">कुल राशि 3,31,13,094/– का भुगतान ई–चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एन.पी.वी. की राशि</td><td>1,41,13,148/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>केट प्लान की राशि</td><td>10,10,000/–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अतिरिक्त एन.पी.वी. की राशि</td><td>60,57,699/–</td><td>वनमंडल अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनाक 05.06.2023</td><td>कुल राशि 60,57,699/– का भुगतान ई–चेक क्र. 0330230816 दिनांक 16.03.2024 को किया गया है।</td></tr>
</table>
आवेदक संस्था उपरोक्त भुगतान के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा अन्य किसी मांग राशि के भुगतान हेतु वचनवद्ध है।</td><td>वचन पत्र क्र. 1 संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).</td><td>शर्त क्र. 5 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।</td><td>वचन पत्र क्र. 4 संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>The User Agency shall submit an undertaking for no soil excavation in forest land.</td><td>शर्त क्र. 6 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।</td><td>वचन पत्र क्र. 5 संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collecotor.</td><td>शर्त क्र. 7 का अनुपालन पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है।</td><td>FRA प्रमाणपत्र संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.</td><td>शर्त क्र. 8 का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।</td><td></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019. | शर्त क्र. 9 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र. 6 संलग्न है। |
| 10 | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). | शर्त क्र. 10 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र.7 संलग्न है। |
| **B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:** | | | |
| 1 | Legal status of the forest land shall remain unchanged. | शर्त क्र. 1 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र. 8 संलग्न है। |
| 2 | Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 21.06 ha non-forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided. Details of CA area as follows: | शर्त क्र. 2 का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा। | |
| 3 | Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. | शर्त क्र. 3 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र. 9 संलग्न है। |
| 4 | The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. | शर्त क्र. 4 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है एवं वृक्षो की कटाई का कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा। | वचन पत्र क्र. 10 संलग्न है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. | शर्त क्र. 5 के पालन में लेख है कि भारत सरकार का राजपत्र क्र. 3181 दिनांक 14 अगस्त 2018 1 (ग) के अनुसार लघु सिंचाई परियोजना के लिये छूट प्राप्त है। अतः शर्त लागू नहीं होती। | |
| 6 | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer | शर्त क्र. 6 का पालन **वन विभाग** द्वारा किया जावेगा। | |
| 7 | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government | शर्त क्र. 7 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र **क्र. 11** संलग्न है। |
| 8 | The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas. | शर्त क्र. 8 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र. 12 संलग्न है। |
| 9 | No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. | शर्त क्र. 9 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र **क्र. 13** संलग्न है। |
| 10 | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government. | शर्त क्र. 10 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र **क्र. 14** संलग्न है। |
| 11 | No labour camp shall be established on the forest land. | शर्त क्र. 11 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र **क्र. 15** संलग्न है। |
| 12 | The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas | शर्त क्र. 12 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र. 12 संलग्न है। |
| 13 | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project project life. | शर्त क्र. 13 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र **क्र. 16** संलग्न है। |
| 14 | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. | शर्त क्र. 14 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र **क्र. 17** संलग्न है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | The forest land proposed to to be be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government | शर्त क्र. 15 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र. 14 संलग्न है। |
| 16 | The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. | शर्त क्र. 16 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र 18 संलग्न है। |
| 17 | Any other condition that the Ministry of Environment. Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & widlife | शर्त क्र. 17 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र 19 संलग्न है। |

(अखिल बिस्थरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला–सागर (म.प्र.)

/2022

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-एमपीआर 005/2022-बीएचओ/ दिनांक : 09 /12/2022

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषयः सागर जिले के अन्तर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 21.06 हेक्टर संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 सागर को उपयोग पर देने बाबत ।

Sir,

This refers to letter No. F-3/85/2017/10-11/12/708 dated 02/03/22 and even letter No. 3055 dated 06/09/2022 PCCF(LM), Govt. of Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government and on the decision of Regional Empowered Committee in its 7th REC meeting of 2022 on 18/11/2022, the **"in-principle" approval** of Central Government, is hereby conveyed for diversion of 21.06 ha Protected Forest land for construction of Baroda Irrigation Project in favour of Executive Engineer, Water Resources Division No. 1 in Sagar District of Madhya Pradesh, subject to the following conditions and stipulations.

**A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**

(1) The cost of compensatory afforestation on the CA land (21.06 ha NFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

(2) Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.

*(3) The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification shall be submitted with Stage-I compliance report.*

(4) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 21.06 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the

guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PtII) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.

(5) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

*(6) The User Agency shall submit an undertaking for no soil excavation in forest land.*

(7) The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

(8) The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.

(9) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

(10) The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

**B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**

(1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.

(2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **21.06 ha non-forest land** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided. Details of CA area as follows:

| No. | CA on NFL | Khasra No. | Village | Tehsil | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.08 | 1 | Fulwari | Shahgarh | Sagar |
| 2. | 10.98 | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 | Hardwani | Shahgarh | Sagar |
| **21.06 Ha** | | **TOTAL** | | | |

(3) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

*(4) The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.*

(5) User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

(6) The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

(7) The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

(8) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

(9) No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

(10) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.

(11) No labour camp shall be established on the forest land.

(12) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

(13) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.

(14) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

(15) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.

(16) The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

(17) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

2. After receipt of the compliance report regarding fulfillment of the conditions as stipulated above, from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of the Competent Authority.

भवदीय

(हरे राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

1. वन महानिरीक्षक (एफसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर, जिला-सागर, मध्यप्रदेश ।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, जिला-सागर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(हरे राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)



Signed by Hare Ram Kumar
Date: 09-12-2022 18:36:40
Reason: Approved

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 85 / 2017 / 10–11 / 12 / 11727 भोपाल, दिनांक 3/12/22

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
(सा0) वन मण्डल दक्षिण सागर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–जिला सागर के अंतर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 21.06 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6–एमपीआर 005 / 2022–बीएचओ, दिनांक 07.07.2022

— 0 —

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

शर्त क्रमांक– A(1) के पालन में प्रकरण में तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार कुल राशि रू. 1,79,89,946 /– आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में आनलाईन जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक– A(2, 3) के पालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामान्तरण कराकर फार्म पी–2 एवं कब्जा रसीद आदि की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना का प्रारूप वन भू–अभिलेख शाखा को भेजते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

शर्त क्रमांक– A(4) के पालन में प्रस्तावित 21.06 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू. 1,41,13,148 /– आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में आनलाईन जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक– A(5) के अनुसार प्रकरण में तैयार CAT plan की राशि 10.10 लाख रूपये आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक– A(7) के पालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रस्तावित वनभूमि का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवायें।

शर्त क्रमांक– B(3) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय संबंधी वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर प्रेषित किया जावें।

–2–

D:\A\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2023/3003 सागर, दिनांक 5-6-23

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर (म.प्र.)।

विषय :- जिला सागर के अंतर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 21.06 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/85/2017/10-11/4222 दिनांक 13.12.2022 एवं क्रमांक/एफ-3/85/2017/10-11/12/2061 दिनांक 19.05.2023
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1884 दिनांक 21.12.2022
3. आपका पत्र क्रमांक/1652/कार्य/2023-24 दिनांक 08.05.2023

--"--

विषयांकित संबंध में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 005/2022-वीएसओ/ दिनांक 09.12.2022 के द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक स्वीकृति) जारी की गई है।

2- स्वीकृति में अधिरोपित शर्त अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि-1,79,89,946, नेट प्रजेण्ट वैल्यू-1,41,13,148 एवं केट प्लान की राशि-10,10,000 कुल राशि-3,31,13,094/- ऑन लाईन जमा कर पावती एवं वचन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है।

3- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1884 दिनांक 21.12.2022 के द्वारा विषयांकित प्रकरण में त्रुटिवश Eco-Class-4 दर्ज हो जाने के कारण वरिष्ठ द्वारा प्रभावित भूमि 21.06 हेक्टेयर की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 1,41,13,148/- जमा करने हेतु लेख किया गया था। किन्तु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-3/85/2017/10-11/12/2061 दिनांक 19.05.2023 द्वारा प्रस्तावित 21.06 हेक्टेयर वनभूमि (श्रेणी Eco-Class-3) मान्य कर नेट प्रजेन्ट वैल्यू की गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 से जारी नवीन एन.पी.व्ही. की दरों से करते हुए अंतर की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4- अतः आप विषयांकित प्रकरण में Eco-Class-3 की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की अंतर की राशि रु. **60,57,699/-** ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कर पावती प्रति एवं वचन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

सागर, दिनांक 5-6-23

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2023/3004

प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

510

E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR
Sagar,
Madhya Pradesh-470001

# Payment Order List
## E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Report Run Date: 04/05/2023 15:16:17

Date From: 01/03/2023 To 04/05/2023

DDO Code: 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO 1 SAGAR

Logged In User: Mr. DEVENDRA PRASAD MISHRA(Assistant Grade III)

Server Name: DCDBSRV3_Managed_2

Report Generated Time: 04/05/2023 15:15:10

| Sr.No | Party Code | Party Name | Voucher No | Date of Payment | Amount Paid | IFSC Code | Account No | Payment Mode | Bill Ref No | Advice No | Cheque No | Efile No | UTR NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2000267801637 | MADHYA PREDESH CAMPA | 330/8443 /042023-24/0057 | 13/04/2023 | 3,31,13,094.00 | UBIN0996335 | 150765730442884 | E-Payment | MPTC 66/200015286690 | 330/042023-24 /E0046 | 0330170239 | RBI_330_000017_13042023 | RBI1042307469030 |
| Total | | | | | 3,31,13,094.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 3,31,13,094.00 | | | | | | | | |

# Payment Order List
## E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Date From: 01/03/2024 To : 31/03/2024 DDO Code: 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Payment Mode: E-Payment Logged In User: Ms. MANDAKINI SARWARIYA(Assistant Grade III)

Server Name: DCDBSRV4_Managed_2 Report Generated Time: 21/03/2025 13:31:40

| Sr.No | Party Code | Party Name | Voucher No | Date of Payment | Amount Paid | IFSC Code | Account No | Payment Mode | Bill Ref No | Advice No | Cheque No | Efile No | UTR NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2000270454491 | MADHYA PRADESH CAMPA | 330/8443/032023-24/0125 | 16/03/2024 | 60,57,699.00 | UBIN0996335 | 150765730442612 | E-Payment | MPTC 66/200018094122 | 330/032023-24/E0165 | O330230816 | RBI_330_000797_19032024 | RBI0802449974164 |
| Total | | | | | 60,57,699.00 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 60,57,699.00 | | | | | | | | |

Scanned with OKEN Scanner

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,

WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Phone no-07582-285247 Near Civil Court. Sagar, Pin.-470001
E-mail: eewrdnolsgr@gmail.com


## Undertaking (1)

User agency undertakes that Additional amount of the CA or NPV of the forest land, if any, shall be charged by the State Government from the User Agency.

(Nishesh Goswami)
Sub Division Officer
Water Resources Sub Division No 03
Garhakota Dist. Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division No.1
Sagar (M.P.)

# न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क. 28 अ/19(3) वर्ष 17–18
ग्राम हरदुवानी प.ह.नं. 47
तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर,
तहसील व जिला सागर (म0प्र0) .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन .....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 28/09/2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर, तहसील व जिला सागर (म0प्र0) ने पत्र कमांक–1679/कार्य/2018–19 सागर दिनांक 22.05.18 में लेख किया गया कि न्यायालय कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक–6 अ/19(4) वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 के द्वारा सागर जिले की सिंचाई परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशय एवं क्यायला जलाशय की डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की शासकीय राजस्व भूमि 38.26 हे. वन विभाग को हस्तांतरित हुआ था। उक्त हस्तांतरित भूमि वन विभाग के नाम नामांतरित एवं उनके आधिपत्य में है। उक्त तीनों योजनाओं में से खजरा जलाशय योजना के वनभूमि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक–6MPC036/2007-BHO/4410 दिनांक 03.12.2007 द्वारा एस.ए.जी. म.प्र. दिनांक 01.08.2007 की बैठक में विचारोपरान्त 2300 वृक्षों के पातन एवं मात्र 167 हे. सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य नहीं की गई। इस परिपेक्ष्य में तत्कालीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 सागर के पत्र कमांक–1063/वन प्र./कार्य/08 सागर दिनांक 04.04.2008 द्वारा योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। म.प्र.जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक–373/22/09/09 भोपाल दिनांक 02.06.2012 मे निहित निर्देशानुसार स.क. 16 पर दर्शित खजरा जलाशय योजना जिला सागर की स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु जानकारी प्रपत्र .151 (संशोधित) में भरकर योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुविचारित नहीं होने एवं लागत प्रति हे. अधिक होने के कारण निरस्तीकरण प्रस्ताव कार्यपालन जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर द्वारा प्रमुख अभियंता को भेजा जा चुका है। इस प्रकार खजरा जलाशय योजना का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम हरद्वानी की 14.26 हे. वनभूमि वन विभाग के आधिपत्य में है। जो अतिशेष श्रेणी में है। सागर जिले के सागर विकास खण्ड की वरौदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कुल गैर वन भूमि 21.06 हे. जिसमें से 10.08 हे. भूमि तहसील शाहगढ के ग्राम फुलवासी के खसरा नं. 01 में से न्यायालय कलेक्टर सागर के आदेश कमांक–21 अ/19(3) वर्ष 17–18 दिनांक 22.05.18 को आवंटित हो चुकी है। अतः इस योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शेष 10.98 हे. राजस्व भूमि खजरा जलाशय हेतु आवंटित 14.26 हे. राजस्व भूमि (जो वन विभाग के पास अतिशेष है) में से समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा जिला सागर से प्रकरण तैयार कराया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा प्रकरण कमांक–574 बी/121 वर्ष 17–18 ग्राम हरद्वानी में इश्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। इश्तहार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्ताव लिया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा ग्राम हरद्वानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकवा 38.28 हे. में से रकवा 10.98 हे. भूमि पर खजरा जलाशय के स्थान पर बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा की गई।

P.T.O

इस न्यायालय के प्रकरण कमांक–6 अ/19(4) वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 द्वारा ग्राम हरद्वानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकवा 38.28 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित की गई थी। उसमें से रकवा 14.26 हे. भूमि का खजरा जलाशय योजना का प्रस्ताव सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य न होने से योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित होने से एवं उक्त भूमि वन विभाग के आधिपत्य में होने एवं अतिशेष की श्रेणी में होने से उसके स्थान पर बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न विवरण अनुसार भूमि समायोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी बण्डा एवं तहसीलदार बण्डा एवं वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर की सहमति पर ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की निम्नानुसार भूमि :–

| क्रं. | ग्राम का नाम | प.ह.नं. | ख.नं. | कुल रकवा (हे.में) | समायोजित रकवा (हे. में) | मद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | हरद्वानी | 47 | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 | 14.26 | 10.98 | शासकीय |

उक्त भूमि का समायोजन होने से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। समायोजित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ.कं0/10783/री0कले0/18 सागर, दिनांक 28/05/2018

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2– सचिव म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3– अप्रर मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल
5– मुख्य वन संरक्षक वृत्त सागर जिला सागर
6– वन मंडल अधिकारी (स.) वन मंडल उत्तर सागर वन मंडल सागर
7– अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर
8– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–एक सागर
9– तहसीलदार बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्ती एवं आवंटित भूमि का अधिपत्य संबंधित विभाग को दिलाये जाने उपरांत संशोधित अभिलेख खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं अधिपत्य दिये जाने का पंचनामा प्रतिवेदन सहित प्रकरण इस न्यायालय को शीघ्र भेजे।

कलेक्टर
जिला सागर

बिन्दु क्र0–1

# प्रमाण–पत्र

## प्रस्तावित गैर वनभूमि के वैधानिक स्वरूप (राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि) बाबत् राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व भूमि है।

परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

तहसीलदार
बण्डा

बिन्दु क्र0–2

# प्रमाण–पत्र

## उक्त भूमि में छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं होने बाबत् राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल मद की नहीं है।

**परिक्षेत्र अधिकारी**
**बण्डा**

**तहसीलदार**
**बण्डा**

बिन्दु क्र0–4

# प्रमाण–पत्र

## उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये अभिलेखन का प्रतिवेदन

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

**परिक्षेत्र अधिकारी**
**बण्डा**

**तहसीलदार**
**बण्डा**

बिन्दु क्र0–5

# प्रमाण–पत्र

## उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बाबत सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण–पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

**परिक्षेत्र अधिकारी**
**बण्डा**

**तहसीलदार**
**बण्डा**

बिन्दु क्र0–6

# प्रमाण–पत्र

## उक्त भूमि का राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वन अधिकारी की उपस्थित में किया गया सीमांकन का प्रतिवेदन/रिपोर्ट

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के उपस्थिति में वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष दिनांक 20.12.2006 को मौके का सीमांकन किया गया पंचनामा की प्रति संलग्न है।

परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

तहसीलदार
बण्डा

बिन्दु क्र0–8

# प्रमाण–पत्र

## उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (अधिपत्य सौपने) का प्रमाण–पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का अधिपत्य राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा उपस्थित वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को दिनांक 20.12.2006 को मौके पर अधिपत्य सौपा जा चुका है, पंचनामा की प्रति संलग्न है।

परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

तहसीलदार
बण्डा

बिन्दु क्र0–9

# प्रमाण–पत्र

## उक्त भूमि हेतु वन प्रबंधन की दृष्टि से सक्षम वन अधिकारी द्वारा दिया गया उपयुक्त प्रमाण–पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है।

| | | |
|---|---|---|
| परिक्षेत्र अधिकारी | उप वनमण्डलाधिकारी | वन मंडल अधिकारी |
| बण्डा | बण्डा | उत्तर सागर वन मंडल |

बिन्दु क्र0–10

# प्रमाण–पत्र

## वृक्षारोपण के लिए उक्त भूमि की उपयुक्तता का सक्षम वन अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

| | | |
|---|---|---|
| परिक्षेत्र अधिकारी | उप वनमण्डलाधिकारी | वन मंडल अधिकारी |
| बण्डा | बण्डा | उत्तर सागर वन मंडल |

बिन्दु क्र0–11

# प्रमाण–पत्र

## उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नहीं दिये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :–

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह0 नं0 46/90 खसरा नं0 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए नहीं दी गई है।

**परिक्षेत्र अधिकारी**
**बण्डा**

**तहसीलदार**
**बण्डा**

# कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा

बण्डा, दिनांक – 20/2/06

कमांक/ 01/

प्रति,

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मण्डल सागर

विषय :– सिचाई परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशय एवं क्वायला जलाशय के डूब में आई वन भूमि के बदले ग्राम हरद्वानी की राजस्व भूमि का हस्तांतरण।

— 0 —

निवेदन है कि विषयांतर्गत में न्यायालय अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक 6 अ/19(4) वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 के अनुसार उक्त परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशयएवं क्वायला जलाशय के डूब में आई वन भूमि के समतुल्य प्राप्त ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की शासकीय राजस्व भूमि निम्न खसरों की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई है। विवरण इस प्रकार है :–

| कमांक | खसरा कमांक | रकवा (हे. में) |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | 105 | 2.84 |
| 2 | 107/1 | 14.67 |
| 3 | 107/2 | 2.00 |
| 4 | 128 | 1.11 |
| 5 | 129 | 0.41 |
| 6 | 130 | 2.26 |
| 7 | 131 | 0.42 |
| 8 | 132 | 0.11 |
| 9 | 133 | 0.80 |
| 10 | 136 | 2.40 |
| 11 | 137 | 7.10 |
| 12 | 138 | 0.45 |
| 13 | 353 | 0.48 |
| 14 | 354 | 3.23 |
| | **Total :-** | **38.28** |

वन मण्डल अधिकारी

प्रकरण में उपरोक्त खसरों की हस्तांतरित भूमि कुल रकवा 38.28 हे. का मौका कब्जा मेरे द्वारा वन विभाग के कब्जे में कब्जा प्राप्त किया जा चुका है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ संप्रेषित।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

बण्डा दिनांक –

पृ.कमांक/
प्रतिलिपि :– उप वन मंडल अधिकारी बण्डा को सूचनार्थ अग्रेषित।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

S. D. O. (F.)
Sub Dn. Banda

सत्य प्रतिलिपि

उप वन मंडल अधिकारी
बण्डा

XXIII—P-II
Settl.

# P. II खसरा पाँच

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन ) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि — क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ९०५ | ५.२४ वनविभाग म०प्र० | म०प्र०शासन | | — | | | — | — | — | श्रीमान् कलेक्टर महो० बिलासपुर के रा०प्र०क्र० [illegible] आदेश दि० [illegible] के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित की गई | |
| | | म०प्र०शासन वन | | | | | | | | | |
| १०६/१ | ९४.९६ वनविभाग | | | — | — | — | — | — | — | — | देखें खसरा नं. ९०५ |
| १०६/२ | ३.०० वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें कै० खसरा नं० ९०५ |
| ९२८ | १.११ वनविभाग | म०प्र० शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें कै० खसरा नं० ९०५ |
| ९२९ | ०.४१ वनविभाग | म०प्र०शासन | | | — | — | — | — | — | — | देखें कै० खसरा नं० ९०५ |
| ९३० | ३.२६ वन विभाग म०प्र० | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें कै० खसरा नं० ९०५ |
| ९३१ | ०.४२ वनविभाग | म०प्र०शासन | | | | — | — | — | — | | देखें कै० खसरा नं० ९०५ |

प्रतिलिपि [illegible] [illegible] ०६

Settl.

# P. II खसरा पांच

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन ) | कब्जेदार का नाम, उसके पि... का या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि: क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 932 | 0.99 वन विभाग | मध्यप्र0 शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | दे0प्रो0 [illegible] ख0नं0 905 |
| 933 | 0.80 वन विभाग | मध्यप्र0 शासन | | — | | — | — | — | — | — | दे0प्रो0 [illegible] ख0नं0 905 |
| 935 | 2.80 वन विभाग | मध्यप्र0 शासन | | — | — | — | — | — | — | — | दे0प्रो0 [illegible] ख0नं0 905 |
| 936 | 6.90 वन विभाग | मध्यप्र0 शासन | | — | — | — | — | — | — | | दे0प्रो0 [illegible] ख0नं0 905 |
| 938 | 0.84 वन विभाग | मध्यप्र0 शासन | | — | — | — | — | — | — | — | दे0प्रो0 [illegible] ख0नं0 905 |
| 323 | 0.48 वन विभाग | मध्यप्र0 शासन | | — | — | — | — | — | — | — | दे0प्रो0 [illegible] ख0नं0 905 |
| 3248 | 3.22 वन विभाग | मध्यप्र0 शासन | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | मिला 9.09 | [illegible] |

शाक्षमुद्रा-480-फार्म्स-26-11-99-9,00,000.

उपरोक्त रकबा कुल अद्द 14 कुल रकबा 32.58 हे0 राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया।
उपरोक्त ग्राम के ख0नं0 3248 [illegible] 9.00 हे0 [illegible] किया है। [illegible]

# P. II खसरा पाँच

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि — क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| १०५ | ३.२८ वनविभाग म०प्र० | म०प्र०शासन | | – | – | – | – | – | – | | श्रीमान् कलेक्टर महो० छिंदवाड़ा के रा० प्र० क्र० ६ अ/१९(४) ०४/०६ आदेश दि० १०/२/०६ के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित कार्यवाही |
| १०६/१ | ९४.६६ वनविभाग | म०प्र०शासन | | – | – | – | – | – | – | | देखो खे०न० १०५ |
| १०६/२ | ३.०० वनविभाग | म०प्र०शासन | | – | – | – | – | – | – | | देखो खे०न० १०५ |
| १२८ | १.११ वनविभाग | म०प्र० शासन | | – | – | – | – | – | – | | देखो खे०न० १०५ |
| १२९ | ०.८१ वनविभाग | म०प्र०शासन | | – | – | – | – | – | – | | देखो खे०न० १०५ |
| १३० | २.२६ वन विभाग म०प्र० | म०प्र०शासन | | – | – | – | – | – | – | | देखो खे०न० १०५ |
| १३१ | ०.८२ वनविभाग | म०प्र०शासन | | – | – | – | – | – | – | | देखो खे०न० १०५ |

प्रमाणित [illegible] [signature] १२/६/०६

# P. II खसरा पाँच

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन ) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि — क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ९३२ | ०.९९ वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | देखें पृ० ख०न० १०५ |
| ९३३ | ०.८० वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें पृ० ख०न० १०५ |
| ९३६ | २.४० वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें पृ० ख०न० १०५ |
| ९२६ | ६.९० वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें पृ० ख०न० १०५ |
| ९३८ | ०.४५ वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें पृ० ख०न० १०५ |
| ३४३ | ०.४८ वन विभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखें पृ० ख०न० १०५ |
| ३४८ | ३.२२ वन विभाग | म०प्र०शासन | | | | | | | | सिवा ९.०७ | आदेश दिनांक नायब तहसीलदार के वाद क्रमांक द्वारा प्रकरण दर्ज देखें |

प्रतिलिपि प्रमाणित

उपरोक्त रकबा कुल मद्दे १४ कुल रकबा ... है०
राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तान्तरित किया गया।
उपरोक्त ग्राम के ख०न० ३४८ का आदेश प्रकरण ... ग्राम ...
में वर्ष ... पाया ... [illegible] ... अभिलेखित है।

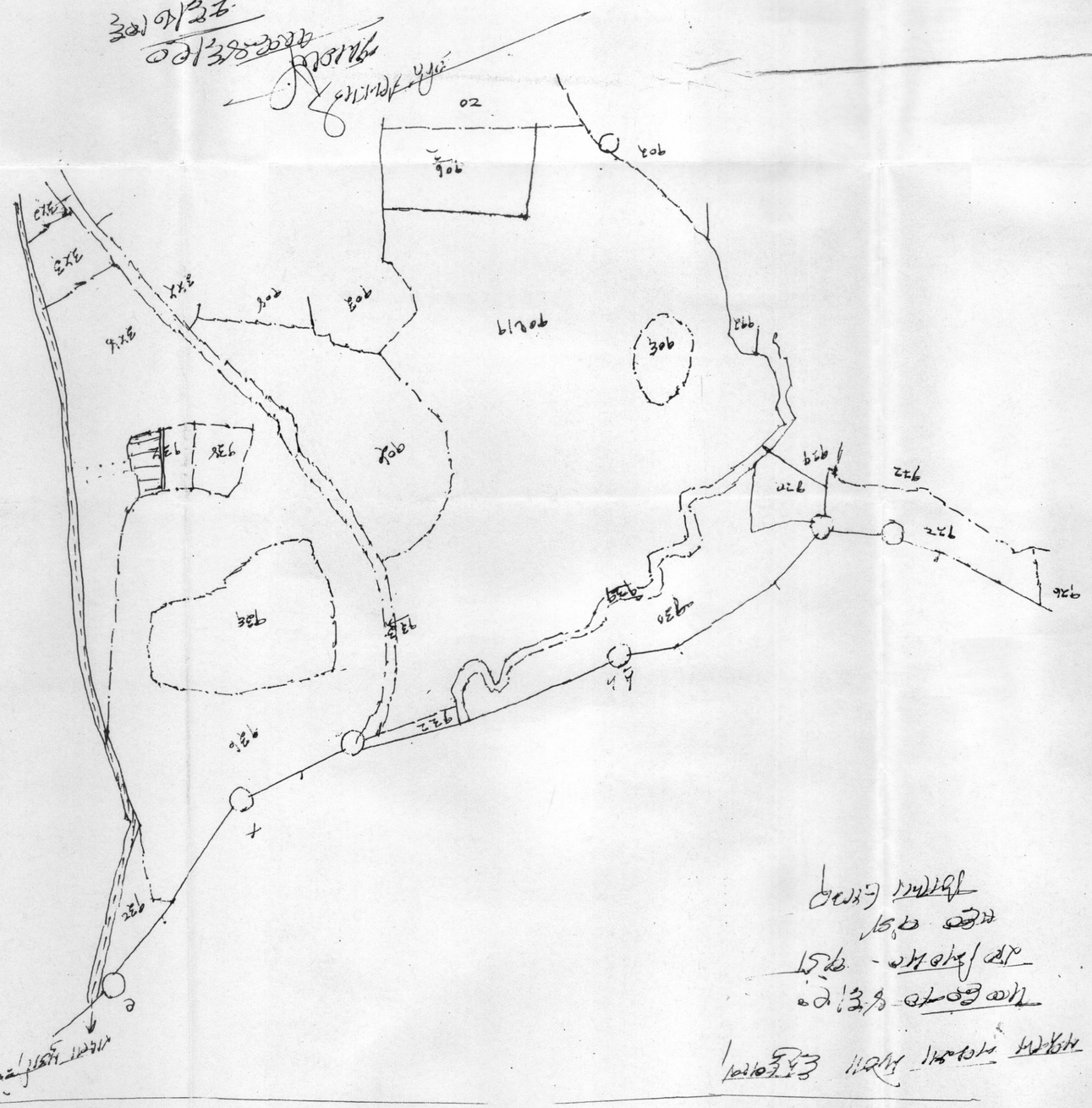

नोट :- रामनगर में वन विभाग की हल्द्वानी [illegible] कुल १४ पेड़ संख्या ३८ [illegible]
[illegible]

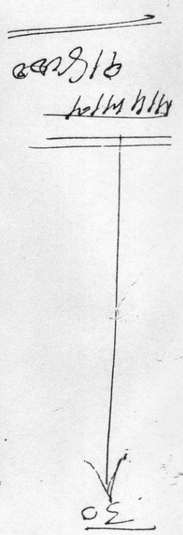

# न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रं.– 0002/अ–20(3)/वर्ष 2024–25
मौजा– सरखेड़ा प.ह.नं. 07
तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक–1
सागर (म.प्र.)

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

## !! आदेश !!

(पारित दिनांक 29/11/2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–1 सागर (म.प्र.) द्वारा ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 खसरा नंबर 326 रकवा 75.510 हे. में से 15.00 हे. भूमि बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर को हस्तांतरित किये जाने बाबत आवेदन पत्र ऑनलाईन दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवरी (राजस्व) को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन ग्राम में एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सरखेड़ा स्थित खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख एवं मिसल बंदोबस्त अनुसार पहाड़/चट्टान के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि आवंटन से ग्राम के छोटाघास रकवे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्राम की चरोखर भूमि के रकवे में परिवर्तन नहीं होने से 02% प्रतिशत शर्त का उल्लंघन नहीं होगा। उक्त भूमि दक्षिण वन मण्डल से लगी हुई है। आवेदित भूमि बरोदा सिंचाई परियोजनान्तर्गत डूब में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा प्रारूप–2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार मौजा सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हे. मद (पहाड़) में से 15.00 हे. भूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आवंटन की जाना है। उक्त संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आक्षेप/आपत्तियां प्राप्त नहीं। स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी द्वारा आवेदित भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई। आवेदित भूमि अतिक्रमण मुक्त व आवंटन हेतु उपयुक्त है प्रस्तावित रकवे को नक्शा में लाल स्याही से आच्छादित किया गया है।

P.T.O.

ग्राम का चरनोई रकवा 16.90 हे. है, खाते के रकवा के मान से 2% प्रतिशत चरनोई रकवा 8.00 हे. है, आवेदित भूमि आवंटित उपरांत ग्राम का चरनोई का रकवा 2% प्रतिशत से 8.90 हे. अधिक शेष रहेगा। आवेदित भूमि ग्राम सरखेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद–पहाड़) शासकीय मध्यप्रदेश शासन का अंश भाग रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग के प्रस्तुत आवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को हस्तांरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 11.11.2024 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मौजा सरखेड़ा प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर तहसील देवरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद–पहाड़) में से रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि **''म.प्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा''** बरोदा सिंचाई परियोजनान्तर्गत आने वाली वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। नजूल अधिकारी सागर द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार गौरझामर, अनुविभागीय अधिकारी देवरी, नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :–

| क्रं | ग्राम/तहसील का नाम | प.ह.नं. | ख0नं0 | कुल रकवा (हे.में) | हस्तांतरित रकवा (हे.में) | मद | विभाग का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सरखेड़ा/देवरी | 07 | 326 | 75.51 | 15.00 | शासकीय पहाड़ | वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल |
| कुल योग– | | | | | 15.00 | | |

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए **''म.प्र नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा''** वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(संदीप जी.आर.)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क्रं0/ 10154 /री0कले0/2024 सागर दिनांक 29/11/2024

प्रतिलिपिः–

1. वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को सूचनार्थ।

P.T.O.

रा.प्र.क्रं.– 0002/अ–20(3)/वर्ष 2024–25

2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरूस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5. अधीक्षक भू–अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नायब तहसीलदार, गौरझामर तहसील देवरी जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. नगर तथा ग्राम निवेश सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–1 सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:सरखेड़ा | | | पटवारी हल्का:सरखेड़ा | | | तहसील:देवरी | | | जिला:सागर | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग-मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी स्थिति<br>2. भूमि पर संरचना / वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 81G3L9DBS53BH0 | 326/1/2 (S) | | 15.0000 हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0138/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 02/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।<br>न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0002/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 29/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |

Specimen Copy

## मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

| नक़्शा की प्रतिलिपि | |
|---|---|
| वर्ष: 2024-25 | दिनांक: 20-01-2025 16:13:22 |

N W E S

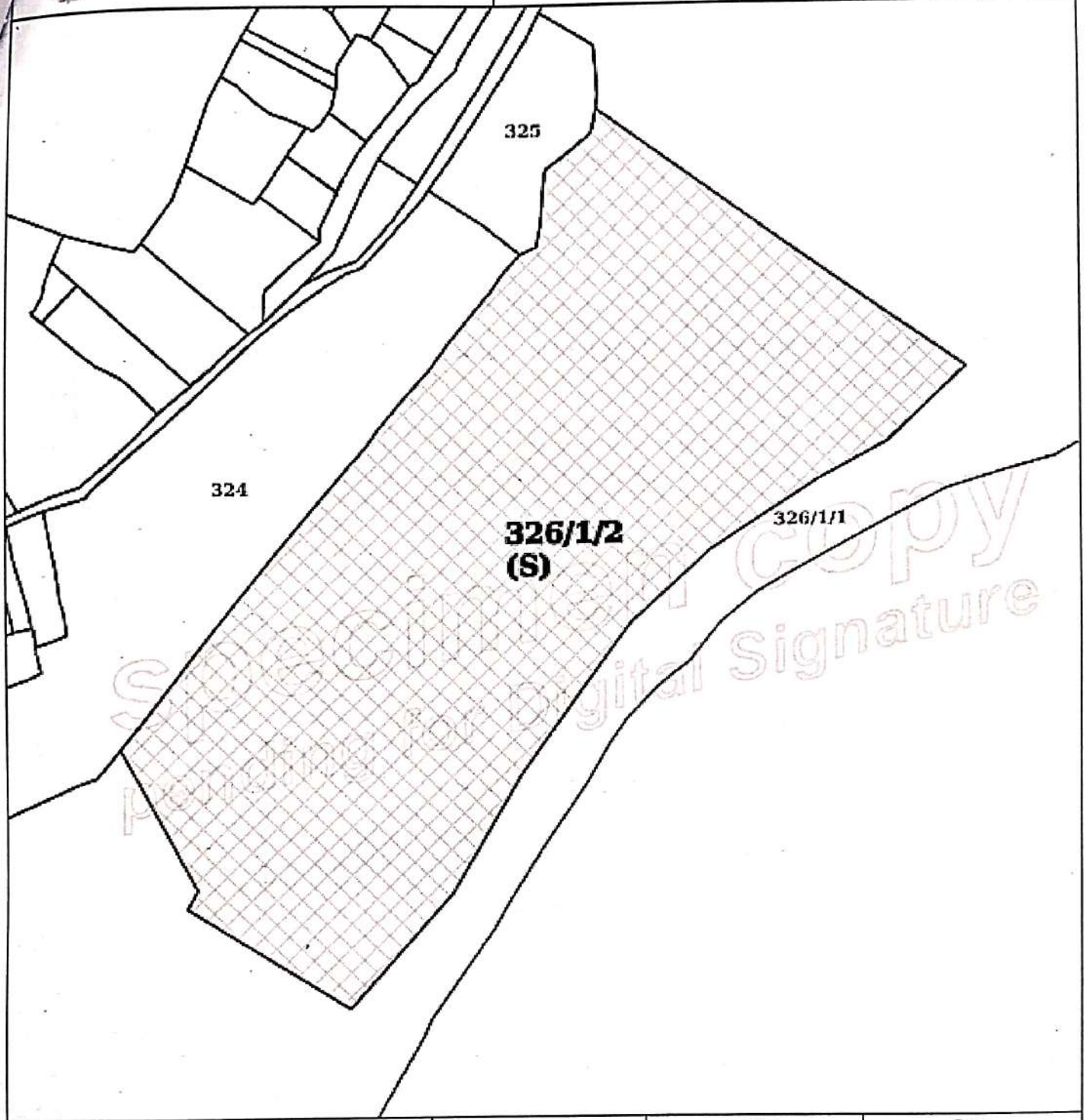




specimen copy pending for Digital Signature

| ब्लॉक सं. | ग्राम | हल्का | तहसील | जिला |
|---|---|---|---|---|
| | सरखेड़ा | सरखेड़ा | देवरी | सागर |
| सर्वेक्षण सं. | क्षेत्रफल | भू.रा.शा | मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4) | |
| 326/1/2(S) | 15.0000(हेक्ट.) | 0 | 0 20 40 60 80 120 160 200m | |

**भूस्वामी।** (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

# पंचनामा

पंचनामा लिख दिया आज दिनांक 11/01/2025 को ग्राम खलेड़ा प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. गौरझामर तहसील देवरी में उपस्थित होकर कोदा जलाशय योजना के डूबक्षेत्र में प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर सागर के प्रकरण क्र. 0002/अ-20 (3)/वर्ष 2024-25 आदेश दि. 29/11/2024 के माध्यम से ख.नं. 326 रकबा 75.51 हे में से 15 हे. आवंटित भूमि का सीमांकन कर चौहद्दी पर निशान लगाकर कब्जा सौंपने की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी गौरझामर, वनपाल तथा राजस्व विभाग से हल्का पटवारी, जल संसाधन विभाग से उपयंत्री तथा उपस्थित पंचगण के समक्ष 15.00 हे भूमि सुरक्षित रूप से वन विभाग को सीमांकन बताकर हस्तांतरित की गई एवं वन विभाग द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया।

S/E WRD

पटवारी प.ह.नं. 07

चौकीदार

पंच खलावारा
11/1/25

वीरभाई खोड़ी
रिमझिया

## भाग – 2 प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग कमांक 1 साग्रर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वनभूमि रकवा 21.06 हेक्टे. के बदले वन परिक्षेत्र गौरझामर हेतु प्राप्त गैर वन भूमि तहसील देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हल्का नम्बर 07 खसरा नम्बर 326 कुल रकवा 75.51 हेक्टे. मे से 10.08 हेक्टे राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है जिसका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है, उक्त भूमि राजस्व भूमि है एवं वन प्रवंधन की दृष्टि से उपयुक्त है जिसमें 50 प्रतिशत मिट्टी बदलनें के उपरांत पौधा रोपण का कार्य किया जा सकेगा।

वनपरिक्षेत्राधिकारी
गौरझामर

उपवनमण्डलाधिकारी
देवरी

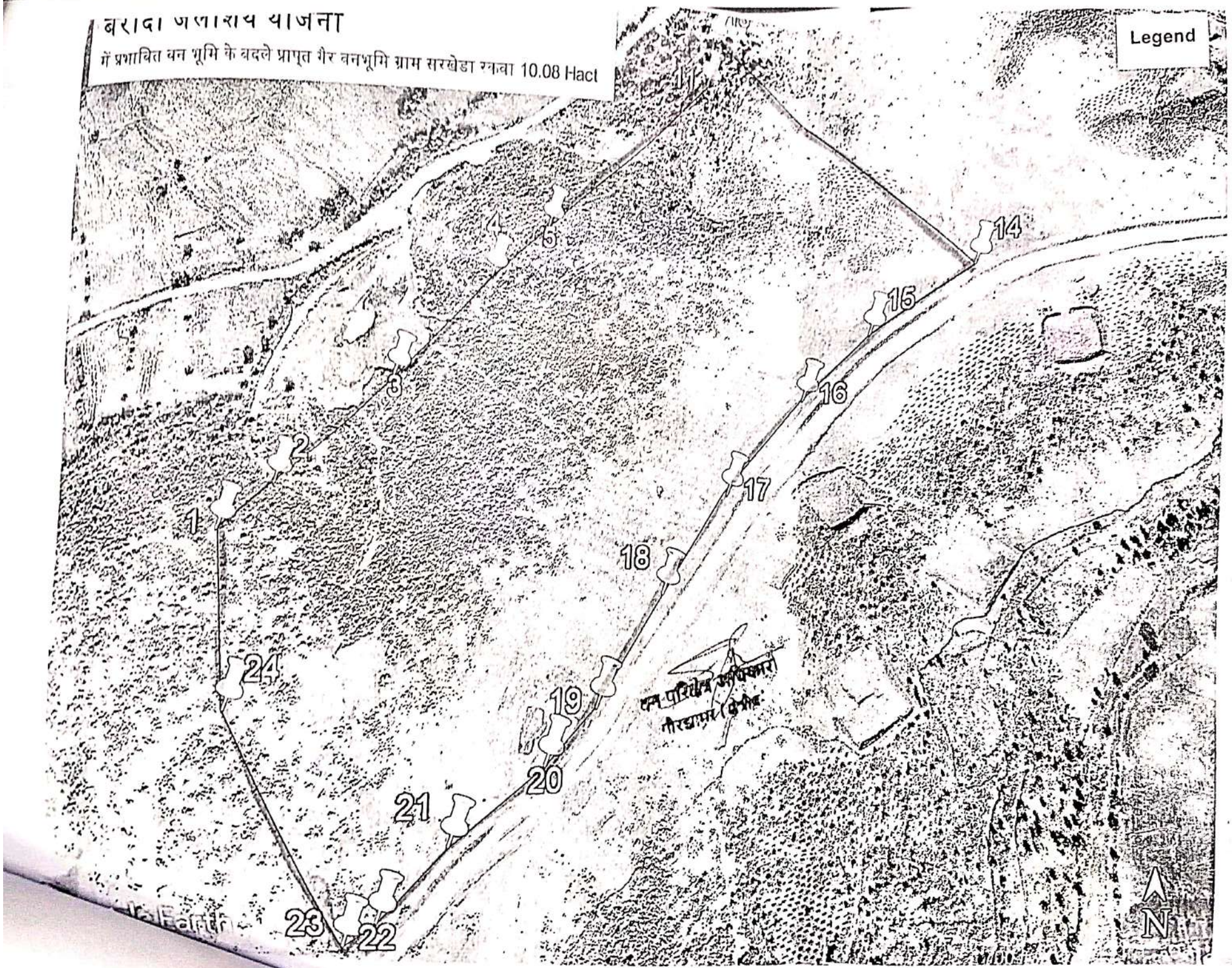

बरादा जलाशय योजना
में प्रभावित वन भूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम सरखेडा रकबा 10.08 Hact
Legend
1
2
3
4
5
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
N

//प्रमाण पत्र//    (राजस्व विभाग)

1. प्रस्तावित गैर वन भूमि के वैधानिक स्वरूप (राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि) बावत् राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील–देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर–07 खसरा नम्बर–326 कुल रकवा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है।

(01)2025

तहसीलदार
नायब तहसीलदार
देवरी
गौरझामर
तहसील – देवरी

//प्रमाण पत्र//

(राजस्व विभाग)

2. उक्त भूमि में छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं होने बावत् राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील–देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर–07 खसरा नम्बर–326 कुल रकवा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि में छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं है।

2025

तहसीलदार

नायब तहसीलदार
देवरी
गौरझामर
तहसील – देवरी

//प्रमाण पत्र//　　　　(राजस्व विभाग)

3.उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये अभिलेखन का प्रतिवेदन।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील–देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर–07 खसरा नम्बर–326 कुल रकवा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

तहसीलदार
देवरी
नायब तहसीलदार
गौरझामर
तहसील – देवरी

//प्रमाण पत्र//　　　　　　(राजस्व विभाग)

4.उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत् सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील–देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर–07 खसरा नम्बर–326 कुल रकवा 75.51 हे. मेंसे 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं हैं।

तहसीलदार
देवरी

नायब तहसीलदार
गौरझामर
तहसील – देवरी

(राजस्व विभाग)

//प्रमाण पत्र//

5.उक्त भूमि का राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वन अधिकारी की उपस्थिति में किया गया सीमांकन का प्रतिवेदन/रिपोर्ट।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील–देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर–07 खसरा नम्बर–326 कुल रकवा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में दिनांक 11/01/2025 को किया गया हैं। पंचनामा की प्रति संलग्न हैं।

11/01/2025

तहसीलदार

नायब तहसीलदार
गौरझामर
तहसील – देवरी

//प्रमाण पत्र//

(राजस्व विभाग)

7.उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (आधिपत्य सौंपने) का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील–देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर–07 खसरा नम्बर–326 कुल रकवा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि राजस्व भूमि हैं। उक्त भूमि का आधिपत्य राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा वन विभाग वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में दिनांक 11/01/2025 को सौंपा गया।

तहसीलदार 11/25

नायब तहसीलदार
गौरझामर
तहसील – देवरी

//प्रमाण पत्र//

(राजस्व विभाग)

11.उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नहीं दिये जाने संबंध प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील–देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर–07 खसरा नम्बर–326 कुल रकवा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है।उक्त भूमि राजस्व भूमि हैं। उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नहीं दी गई हैं।

10/12/2025

तहसीलदार

नायब तहसीलदार
गौरझामर
तहसील – देवरी

## न्यायालय क[illegible]र, जिला सागर (म.प्र.)

रा. प्र. क्र. 21 अ/19(3) वर्ष 17-18
मौजा-फुलवारी, मदनतला, प.ह.नं. 22
तहसील शाहगढ जिला सागर (म.प्र)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर जिला (म.प्र.) ............................ आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन ............................ अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 22/5/2018)

तहसीलदार शाहगढ का प्रकरण क्रमांक-861 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम फुलवारी, मदनतला अनुविभागीय अधिकारी बण्डाजिला सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर ने ज्ञापन क्रमांक- 973/कार्य/2018 सागर दिनांक 24.03.18 में कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले हस्तांतरित शासकीय भूमि के स्थान पर तहसील शाहगढ के ग्राम फुलवारी, मदनतला, बमनोरा की शासकीय भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित की गई।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार शाहगढ को पत्र क्रमांक-4349/री.कले./18 सागर दिनांक 05.04.18 भेजा जाकर कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव का परीक्षण राजस्व विभाग वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण करने के उपरांत उपरोक्त ग्रामों का पृथक-पृथक ग्रामवार प्रकरण तैयार कर शासन के नियम निर्देशों के तहत अपने अभिमत के साथ उचित माध्यम से भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बण्डा के ज्ञापन क्रमांक-731/एस.टी./18 बण्डा दिनांक 22.06.18 में प्रतिवेदित किया गया कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में तहसीलदार शाहगढ से प्रतिवेदन लिया गया । तहसीलद्रार शाहगढ द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/144/प्र./तह./2018 शाहगढ दिनांक 21/05/2018 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम फुलवारी प.ह.नं. 22 की भूमि ख.नं. 1 कुल रकवा 25.470 हे. में से 25.000 हे., खसरा नं. 43 कुल रकवा 75.690 हे. में से 65.000 हे. ग्राम मदनतला में खसरा नं. 187 कुल रकवा 25.000 हे. में से 24.290 हे. एवं ग्राम बमनौरा प.ह.नं. 33 के खसरा नं. 194 कुल रकवा 36.400 हे. मे से 21.592 हे. भूमि कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना बरोदा जलाशय, जमदरी जलाशय एवं पिपरिया जसराज जलाशय के डूब क्षेत्र में गई वन भूमि के बदले उक्त भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करने बाबत आदेश प्राप्त हुआ । उक्त निर्देश के पालन में दिनांक 07/05/2018 को पुलिस बल, ग्राम कोटवार, पटवारी टीम, जल संसाधन से अनुविभागीय अधिकारी उपयंत्री एवं वन विभाग के डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड एवं पुलिस विभाग से थाना प्रभारी शाहगढ अमले के सहित स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 1 एवं 43 का सीमांकन किया गया। वन विभाग द्वारा जी.पी.एस. रींडिग ली गई नियत बिन्दुओं पर चूना लाईन डलवायी गई । खसरा नं. 1 के नक्शा के मध्य में खसरा नं. 02 रकवा 1.10 हे. को हस्तांतरण हेतु चिन्हित किया गया एवं खसरा नं. 43 कुल रकवा 75.69 हे. में से 65.000 हे. रकवा नकशा अनुसार सीमांकित कर बताया गया। चूना डालकर जी.पी.एस. रींडिग ली गई। सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित भूमि वन भूमि के कक्ष क्रमांक 502 से लगी हुई है। ग्राम मदनतला के खसरा नं. 187 कुल रकवा 25.000 में से 24.290 हे. भूमि वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड, जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन की उपस्थिति टीम द्वारा सीमांकित की गई, चूना डलवाया गया एवं बीट गार्ड द्वारा आवश्यक बिन्दुओं पर जी.पी.एस. रींडिग ली गई सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के प्रयोजन उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 500 से लगी हुई है । ग्राम बमनौरा में वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, बीटगार्ड, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन ग्राम बमनौरा की भूमि खसरा नं. 194 रकवा 36.400 हे. में से 21.592 हे. के सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुये मौके पर निरीक्षण के

P.T.O.

कलेक्टर
सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री 1309 23.5.18



रा. प्र. क्र. 2 | अ/19(3) वर्ष 17-18

दौरान वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को वृक्षारोपण के उपयुक्त न होना बताया गया एवं जी.पी.एस. रीडिंग नही ली गई। तहसीलदार शाहगढ द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही हेतु सहपत्रों सहित संप्रेषित है।

प्राप्त प्रस्ताव एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के प्रस्ताव से सहमत होते हुए तहसील शाहगढ मे अनुसूचि मे दर्शाए गए ग्रामों की शासकीय भूमि :-

अनुसूची

| क्र. | योजना का नाम | ग्राम का नाम | प.ह.नं. | ख.नं. | कुल रकबा | हस्तांतरित रकबा | मद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | कैथ मध्यम परियोजना | फुलवारी | 22 | 01 | 25.47 | 14.912 | चरनोई |
| | | फुलवारी | 22 | 43 | 75.69 | 65.00 | चरनोई |
| 02 | जमदर्रा जलाशय | मदनतला | 22 | 187 | 25.00 | 24.29 | चरनोई |
| 03 | बरोदा जलाशय | फुलवारी | 22 | 01 | 25.47 | 10.08 | चरनोई |
| | | | | | कुल योग- | 114.28 | |

का म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) के तहत मद परिवर्तन करते हुए कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना, जमदर्रा जलाशय, बरोदा जलाशय मे डूब मे आने वाली भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की जाती है साथ ही प्रकरण क्रमांक- 13 अ/19(3) वर्ष 16-17 मे पारित आदेश दिनांक 13.02.18 के द्वारा ग्राम दरारिया प.ह.नं. 06 तहसील रहली का भूमि हस्तांतरण का आदेश निरस्त किया जाता है।

उक्त भूमि से हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकबा अप्रभावित रहेगा। भूमि का नियत प्रयोजन मे उपयोग न होने पर पूर्ण एवं आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(हस्ताक्षर)
(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला सागर

पृ.क्र. / 6248 / री.कले. /2018 सागर, दिनांक 22/5/2018

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
3- कमिश्नर, सागर संभाग सागर को सूचनार्थ।
4- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
5- वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वन मण्डल सागर को सूचनार्थ।
6- अनुविभागीय अधिकारी रहली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित तहसीलदार शाहगढ से आदेशानुसार कार्यवाही कराये जाने तथा कार्यवाही उपरांत संशोधित अभिलेख की नकल सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को भेजे जाने हेतु।
8- तहसीलदार शाहगढ को उनके प्रकरण सहित आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
9- [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सागर

पत्र पृ. क्र. 1720 / [illegible] / सागर (म.प्र.) सागर दि. 26.5.18
प्रतिलिपि :-
अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.3 [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1
सागर (म.प्र.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (2)

The user agency undertakes that the non-forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (3)

The user agency undertakes that The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification shall be submitted with Stage-I compliance report.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (4)

The user agency undertakes that all the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e. portal.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (5)

The user agency undertakes that no soil excavation in forest land.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

FORM – II

(For projects other than linear projects)

**Government of Madhya Pradesh**

Office of the District Collector [illegible]

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India [illegible] No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the [illegible] of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that **21.06 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Baroda [illegible] purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram panchayat Baroda (s) in Sagar tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire **21.06 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure6

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities processes under the FRA have been carried out and the they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Baroda villages (s) in enclosed as Annexure-I to annexure-6

(d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) (e) of the FRA

Encl: As above

[illegible]
Collector,
Sagar (M.P.)

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,

**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**
**Phone no-07582-285247 Near Civil Court. Sagar, Pin.-470001**
**E-mail: eewrdnolsgr@gmail.com**

## Undertaking (6)

User agency undertakes that Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019

(Nishesh Goswami)
Sub Division Officer
Water Resources Sub Division No 03
Garhakota Dist. Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division No.1
Sagar (M.P.)

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (7)

The user agency undertakes that the compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (8)

The user agency undertakes to keep the legal status of diverted forest land unchanged.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (9)

User Agency undertakes that additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Binthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,

**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**
**Phone no-07582-285247 Near Civil Court. Sagar, Pin.-470001**
**E-mail: eewrdnolsgr@gmail.com**


## Undertaking (10)

User agency undertakes that The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department.

(Nishesh Goswami)
Sub Division Officer
Water Resources Sub Division No 03
Garhakota Dist. Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division No.1
Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (11)

The user agency undertakes that layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (12)

The user agency undertakes the User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (13)

The user agency undertakes that no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (14)

The user agency undertakes that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.

(Nishesh Goswami)
**Sub Divisional Officer**
Water Resources Sub Dn. N0.3
Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)
**Executive Engineer**
Water Resources Dn. No. 1
Sagar (M.P.)

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

# UNDERTAKING (15)

The user agency undertakes no labour camp shall be established on the forest land

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (16)

User agency undertakes that the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (17)

The user agency undertakes that the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (18)

User Agency undertakes to ensure compliance of the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1 sgr@gmail.com

## UNDERTAKING (19)

The user agency undertakes the compliance of any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

*(Nishesh Goswami)*
***Sub Divisional Officer***
*Water Resources Sub Dn. N0.3*
*Garhakota, Sagar (M.P.)*

*(Akhil Birthare)*
***Executive Engineer***
*Water Resources Dn. No. 1*
*Sagar (M.P.)*